सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हथकरघा)कार्यालय

इंडिया हैंडलूम ब्रांड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

INDIA HANDLOOM

<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

इंडिया हैंडलूम ब्रांड क्या है ?

इंडिया हैंडलूम ब्रांड अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड हथकरघा उत्पादों की श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए शुरु किया गया है जो कच्चे माल, संसाधन, सजावट, बुनाई, डिजाइन और गुणवत्ता के दूसरे मापदंडों पर लागू होने के अलावा ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए उनके उत्पादों के संदर्भ में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन भी करता है।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड के क्या उद्देश्य हैं ?

इंडिया हैंडलूम ब्रांड के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -:

(क) पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव वाले अच्छी किस्म के और दोषमुक्त हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करना ;

(ख) हथकरघा उद्योग के बुनकरों और दूसरे स्टेक होल्डरों की आय में वृद्धि करना ; और

(ग) हथकरघा उत्पादों के लिए विशेष बाजार स्थापित करना।

मेरे उत्पादों के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड प्राप्त करने से क्या लाभ होगा ?

इंडिया हैंडलूम ब्रांड का लोगो प्राप्त करने से आपके उत्पाद दूसरे उत्पादों से अलग होंगे और इसकी गुणवत्ता के प्रति ग्राहक आश्वस्त होंगे। प्रीमियम ब्रांडिंग से आपको अपने उत्पादों के लिए अच्छी किस्म का फैब्रिक मिल सकेगा और भारत और भारत से बाहर अच्छी किस्म के उत्पादों का थोक में व्यापार होने से आपकी बिक्री और आय बढ़ेगी। इंडिया हैंडलूम ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत वित्त के लिए सहायता, डिजाइन विकास के लिए सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या मैं इंडिया हैंडलूम ब्रांड प्राप्त करने के लिए पात्र हूं ?

यदि आप निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र हैं :

1. निम्नलिखित सहित हथकरघा फैब्रिक का उत्पादन करने वाली वास्तविक फर्म/संस्था :

    क) प्राथमिक हथकरघा सहकारी सोसाइटियां

    ख) स्वयं सहायता समूह, कंसोर्शिया, उत्पादक कंपनियां, संयुक्त जवाबदेह समूह (जेएलजी)

    ग) बुनकर उद्यमी

2. गारमेंट और बने-बनाए वस्त्रों के उत्पादक, बशर्ते कि वे “इंडिया हैंडलूम” के ब्रांड वाले फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तथा साथ ही ‘गारमेंट गुणवत्ता दिशानिर्देश’ से संबंधित आईएस 12675(1989) और अन्य लागू बीआईएस मानकों में निहित सिलाई, मानक साइज आदि के संबंध में अतिरिक्त गुणवत्ता मापदंडों का भी पालन करेंगे।

क्या मेरा उत्पाद इंडिया हैंडलूम ब्रांड के पंजीकरण के योग्य हैं ?

आपका उत्पाद इंडिया हैंडलूम ब्रांड के पंजीकरण के योग्य होगा, यदि यह निम्नलिखित श्रेणियों कें अंतर्गत आता है :

उत्पाद	उत्पाद उप श्रेणी या वस्तु
कॉटन साड़ी	जामदानी, तंगेल, शांतिपुरी, धनियाखली, बिचित्रपुरी, बोमकई, कोटपाड, पोचमपल्ली, वैंकटगिरि, उप्पद, सिद्धिपेठ, नारायणपेठ, मंगलागिरी, चेतिनाड, बलरामपुरम, कसोरगोड,कुठमपल्ली,चेंदामंगलम धोती।
सिल्क साड़ी	बलुचरी, मुगा सिल्क, सुआलकुची सिल्क, खंडुवा , ब्रह्मपुरी, बोमकई सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तंचोई, बनारसी बुटीदार,जंगला, बनारसी कटवर्क, पोचमपल्ली, घरमावरम, कांचीपुरम, अर्नी सिल्क, मोल्कालमुरु, पैठानी, पटोला, चम्पा सिल्क , अशावली सिल्क, सेलम सिल्क (धोती), उप्पद जामदानी
कॉटन सिल्क साड़ी	चन्देरी, महेश्वरी, कोटा डोरिया, इलकल, गडवाल, कोवई, कोवई कोरा कॉटन।
ड्रेस मैटीरियल: कॉटन	ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत।
ड्रेस मैटीरियल: सिल्क	तंचोई, बनारसी कटवर्क, ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत, टसर फैब्रिक, मुगा फैब्रिक, मेखला/चादर।
बैड शीट	ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत।
स्कार्फ/ शॉल/चादर	कानी शॉल (हाथ से बुनी/मिल में बुनी), किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, तंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, वांग्खी फी।

इंडिया हैंडलूम ब्राड योजना के तहत शामिल उत्पादों की सूची में मेरा उत्पाद शामिल नहीं किया गया है। मुझे क्या करना चाहिए ?

यदि इंडिया हैंडलूम ब्रांड योजना में शामिल किए गए उत्पादों की सूची में आपका उत्पाद शामिल नहीं किया गया है तो आप इस आशय का अपना आवेदन विकास आयुक्त (हथकरघा), उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं । इस योजना में नए उत्पादों को शामिल करने के मामलों पर विकास आयुक्त (हथकरघा) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया जाएगा ।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण के लिए मैं कैसे आवेदन कर सकता हूं ?

पंजीकरण के लिए आप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं :

- निर्धारित फार्मेट में दो प्रतियों में विधिवत भरा आवेदन पत्र;
- अपेक्षित पंजीकरण फीस; और
- पूरी चौड़ाई वाले फैब्रिक में 0.25 मीटर लंबाई के अपने उत्पाद का सैम्पल ।

आप वस्त्र समिति के कार्यालय या बुनकर सेवा केन्द्र से मुफ्त आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं या इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं ।

आवेदन शुल्क क्या है ?

आपको किसी आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है ।

कितना पंजीकरण शुल्क है ?

प्रति उत्पाद उप श्रेणी या वस्तु के लिए उत्पाद (उत्पादों) की सभी श्रेणियों की पंजीकरण फीस 500 रुपए (पांच सौ रुपये मात्र) है । यदि आवेदन पत्र एक से अधिक वस्तु के लिए है तो कुल फीस 5000 रुपए (पांच हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी । दाहरणार्थ तीन वस्तुओं के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपए (प्रति वस्तु 500) रुपए होनी चाहिए लेकिन 15 वस्तुओं के पंजीकरण के लिए आवेदन फीस 5000 रुपए ही होगी ।

मैं पंजीकरण शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूं ?

आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय पंजीकरण शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या ऑन लाइन अंतरण के माध्यम से कर सकते हैं ।

- यदि आप अपना आवेदन पत्र बुनकर सेवा केन्द्र के कार्यालय को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप “वस्त्र समिति” के पक्ष में मुम्बई में देय डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं । यदि आप अपना आवेदन पत्र वस्त्र समिति के कार्यालय को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप “वस्त्र समिति” के पक्ष में वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर देय डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं ।

- वस्त्र समिति की वेबसाइट (www.textilescommittee.gov.in) पर उपलब्ध “ऑनलाइन भुगतान” टैब के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है । यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो कृपया पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें जिसके लिए आपको ऑटो जनरेटेड पावती प्रदान की जाएगी।

पंजीकरण के लिए आवदेन कहां प्रस्तुत किया जा सकता है ?

आप अपेक्षित नमूनों और पंजीकरण शुल्क के साथ दो प्रतियों में विधिवत भरे आवेदन पत्र बुनकर सेवा केन्द्र या वस्त्र समिति के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । वस्त्र समिति की वेबसाइट (www.textilescommittee.gov.in) पर आपको शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी । यदि ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो बाद में संबंधित वस्त्र समिति कार्यालय को भरे गए आवेदन की एक प्रति और प्रस्तुत करने की पावती का प्रिंट आउट तथा पूरी चौड़ाई वाले फैब्रिक पर 0.25 मीटर लंबे उत्पाद का सैम्पल भेजा जाए ।

मुझे आवेदन पत्र के साथ किस प्रकार का सैम्पल प्रस्तुत करना होगा ?

रनिंग मैटीरियल या यार्डेज के मामले में आपको पूरी चौड़ाई वाले फैब्रिक में 0.25 मीटर की लंबाईवाले उत्पाद का एक सैम्पल भेजना होगा । यदि किसी पूरे उत्पाद (साड़ी,स्टॉल आदि जैसे) से सैम्पल प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो आप पूरे उत्पाद के सैम्पल के साथ परीक्षण के लिए यार्न, रंजक और जरी जैसे बचे हुए कच्चे माल से बना सैम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं ।

मैं एक आवेदन के माध्यम से कितनी वस्तुओं के लिए आवेदन कर सकता हूं ?

आप एक आवेदन पत्र में योजना में शामिल की गई एक से अधिक वस्तुओं के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए प्रति वस्तु पंजीकरण फीस 500 रुपए (पांच सौ रुपये मात्र) होगी जो अधिकतम 5000 रुपए (पांच हजार रुपये मात्र) के अध्यधीन होगी चाहे पंजीकरण के लिए वस्तुओं की संख्या कितनी भी क्यों न हो।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड के पंजीकरण के लिए कौने से गुणवत्ता मापदंड लागू हैं ?

योजना में शामिल प्रत्येक उत्पाद के लिए गुणवत्ता मापदंड यहां उपलब्ध हैं। यार्न, किनारी, पिक, साइज जैसे काऊंट पर गुणवत्ता मापदंडों के संबंध में /+ - 5% की अनुमति है।

क्या कोई अधिकारी मेरे परिसर का दौरा करेगा ?

जी हां। पंजीकरण मंजूर करने के लिए स्थल पर ही सत्यापन करना अनिवार्य है। सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन करने के अलावा उत्पाद (उत्पादों) की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र समिति का क्षेत्रीय कार्यालय/बुनकर सेवा केन्द्र आपके परिसर का दौरा करेंगे। स्थल पर ही पुष्टि करने करने की प्रक्रिया आपका आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

मेरे उत्पाद के पंजीकरण में कितना समय लगेगा ?

इंडिया हैंडलूम ब्रांड में आपके उत्पादों का पंजीकरण करने के लिए प्रयोगशाला में आपके नमूनों का परीक्षण किया जाएगा, स्थल पर सत्यापन प्रक्रिया होगी, आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और पंजीकरण संख्या तथा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होगी और संभवत: इसे आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30-40 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे उत्पाद का पंजीकरण हो गया है ?

यदि जांच के बाद आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको वस्त्र समिति कार्यालय, मुम्बई से सीडी में इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लोगो की सॉफ्ट कॉपी के साथ पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मैं अपने उत्पाद पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लोगो का उपयोग कैसे कर सकता हूं ?

पंजीकरण के बाद आपको सीडी में लोगो की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। आपको वस्त्र समिति के पैनल में रखे प्राधिकृत लेबल विनिर्माताओं से लेबल प्राप्त करने होंगे और प्रत्येक लेबल पर अपनी इंडिया हैंडलूम ब्रांड पंजीकरण संख्या का उल्लेख करके उसे अपने उत्पादों पर लगाना होगा ताकि ग्राहक इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लेबल की असलियत के प्रति आश्वस्त हो सकें। इसके अलावा प्रत्येक लेबल पर वरीयतन एक बार कोड भी दिया जाएगा।

ग्राहक मेरे लेबल की असलियत की पुष्टि कैसे करेगा ?

यदि आप इंडिया हैंडलूम ब्रांड के एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं तो आपका नाम वस्त्र समिति की वेबसाइट (www.textilescommittee.gov.in) और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय की वेबसाइट (www.handlooms.nic.in) पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सूची में शामिल किया जाएगा। आप ग्राहक को उस सूची से अपने लेबल की असलियत की पुष्टि के लिए कह सकते हैं।

पंजीकरण की वैधता की अवधि क्या है ?

इंडिया हैंडलूम लोगो का उपयोग करने के लाइसेंस की वैधता अवधि पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों के लिए होगी।

क्या मैं 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद भी इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उपयोग जारी रख सकता हूं ?

जी हां। आप पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके पंजीकरण का नवीनीकरण करवा सकते हैं और इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उपयोग जारी रख सकते हैं।

क्या प्रारंभिक ऑन साइट सत्यापन किए जाने के बाद और भी सरकारी दौरे किए जा सकते हैं ?

जी हां। वस्त्र समिति और बुनकर सेवा केन्द्र से एक-एक अधिकारी आपके उत्पाद का सत्यापन करने के लिए आपके परिसर का समय-समय पर दौरा करेंगे ताकि ब्रांडिंग के अनुसार उत्पादों के वास्तविक मापदंडों के अनुरुप आकलन किया जा सके। वे ताना और बाना, दोनों के यार्न के सैम्पल एकत्र करके प्रयोगशाला में उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए भेजेंगे।

क्या पंजीकरण को निरस्त किया जा सकता है ?

जी हां। समय-समय पर की गई निगरानी जांच रिपोर्ट के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि आपने वास्तविक मापदंडों को बनाकर नहीं रखा है तो वस्त्र समिति 3 वर्ष समाप्त होने से पहले भी आपके पंजीकरण को निरस्त कर सकती है।

पंजीकरण निरस्त किए जाने पर मैं क्या उपाय कर सकता हूं ?

यदि आपको पंजीकरण निरस्त किए जाने पर कोई शिकायत करनी है तो आप पंजीकरण निरस्त किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लाइसेंस बहाल करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के समक्ष एक अपील दाखिल कर सकते हैं।

मेरा उत्पाद पहले से ही भौगोलिक संकेतन (जी आई) के तहत कवर होता है। क्या मैं अभी भी इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए पंजीकरण कर सकता हूं ?

जी हां। आपका उत्पाद पहले से ही भौगोलिक संकेतलन (जी आई) के तहत होने पर भी आप इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे आपके उत्पाद को और अधिक महत्व मिलेगा।

यदि मेरा कोई प्रश्न हो तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूं ?

यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो आप अपने नजदीकी वस्त्र समिति कार्यालय अथवा बुनकर सेवा केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं या विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को लिख सकते हैं। वस्त्र समिति कार्यालयों और बुनकर सेवा केन्द्रों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।